भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †341

दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

पीईएसए अधिनियम

†341. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या ***पंचायती राज*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जमीनी स्तर पर जवाबदेही के स्तर को बढ़ाने के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सामाजिक संपरीक्षा तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर, विशेषकर पीईएसए अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) सरकार ने सितम्बर, 2005 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' (मनरेगा) को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 अधिदेशित करती हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक रोजगार गारंटी योजना बनाएगी। इस अधिनियम की धारा 17 अधिदेशित करती है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा उन सभी ग्राम पंचायतों, जिनमें 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996' (पेसा) के अंतर्गत आने वाली पंचायतें भी शामिल हैं, पर लागू होती है जहां 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' लागू है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक लेखा परीक्षा अच्छी तरह से की जाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, जून, 2011 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011' को अधिसूचित किया है। ये नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य सरकार छह महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने की सुविधा प्रदान करेगी। ये नियम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की पहचान करेगी या स्थापित करेगी। इन सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' की सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और राज्य सरकार को अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की गई हैं, और इस प्रकार सभी पेसा राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा की सुविधा के लिए ये इकाइयां मौजूद हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत के संविधान के भाग-9 के अनुसार, पंचायतों का गठन और संचालन, जिनमें पेसा क्षेत्रों की पंचायतें भी शामिल हैं, संबंधित राज्य पंचायती राज्य अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, पंचायतों के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन की निगरानी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है।

पंचायती राज मंत्रालय भी अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशन आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा, समय-समय पर, करता रहता है। इसके अलावा, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेब-आधारित पोर्टल ईग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, काम-आधारित लेखांकन और निर्मित संपत्ति के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा, पंचायत खातों की समय पर ऑडिट, यानी ग्राम पंचायतों की प्राप्तियां और व्यय, सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन -ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ऑडिट रिकार्ड के रख-रखाव की सुविधा भी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट-पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

*****